उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-21/2016/सीपी 575/84-2-2016-सीपी 6/2013

लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री गोवर्धन यादव पुत्र श्री सिंहासन सिंह यादव, 9/327, जानकीपुरम विस्तार, निकट सेवा अस्पताल, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-73/सीपी 429/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, लखीमपुर खीरी में सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24 बी के अंतर्गत प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यहित में श्री गोवर्धन यादव, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, लखीमपुर खीरी को जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय, लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-3362/एससीडीआरसी/अधि 79/13, दिनांक 26 अगस्त, 2016 में अवगत कराया गया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में गैर न्यायिक सदस्य के पद पर उक्त श्री गोवर्धन यादव की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2016 से सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ के पद से त्यागपत्र दे दिया है। अत: निबंधक, राज्य आयोग ने श्री गोवर्धन यादव का जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ के सामान्य सदस्य पद से त्यागपत्र दिनांक 26 अगस्त, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3. अत: श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ के सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) पद से श्री गोवर्धन यादव द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 26 अगस्त, 2016 के अपरान्ह से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(2) जिलाधिकारी, लखनऊ ।

(3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।

(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(5) श्री गोवर्धन यादव पुत्र श्री सिंहासन सिंह यादव, 9/327, जानकीपुरम विस्तार, निकट सेवा अस्पताल, लखनऊ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in